स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 235 दिनांकः 24–09–2020

अवैध शराब बनाने के लिए लायी जा रही 6050 लीटर अवैध स्प्रिट (अनुमानित कीमत लगभग रू0 60 लाख) बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनॉक 24–09–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध शराब बनाने के लिए लायी जा रही 6050 लीटर अवैध स्प्रिट (अनुमानित कीमत लगभग रू0 60 लाख) बरामद कर 01 अभियुक्त को जनपद वाराणसी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– भैया लाल निषाद पुत्र स्व0 बैजू निषाद निवासी ग्राम पटना, थाना खानपुर, गाजीपुर।

बरामदगीः–

1– 105 अदद 50 लीटर व 200 लीटर के 04 के ड्रम कुल स्प्रिट 6050 लीटर।
2– 01 अदद भारत बेज कन्टेनर नं0 HR 69 B 3300
3– 01 अदद अल्टो कार नं0 UP 65 AF 4698

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

सन्दहा चौराहा, थाना क्षेत्र चौबेपुर, वाराणसी दिनांक 24/09/2020 समय 08.50 बजे।

विगत कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद वाराणसी व आस पास के जनपदों में अवैध शराब बनाने वाले गिरोहो द्वारा हरियाणा राज्य से अवैध स्प्रिट मंगाकर अवैध रूप से शराब बनायी जा रही है। इन गिराहो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा राज्य से अवैध रूप से स्प्रिट लायी जा रही है, जो थाना क्षेत्र चौबेपुर, वाराणसी के रास्ते गाजीपुर में सप्लाई के लिए भेजी जायेगी। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 श्री पवन सिंह के नेतृत्व में आरक्षी आलोक पाण्डेय, आरक्षी शैलेन्द्र उपाध्याय, आरक्षी राघवेन्द्र तिवारी, आरक्षी सुधीर, कमाण्डो रवि की एक टीम गठित कर जनपद वाराणसी के लिए रवाना किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा जनपद वाराणसी पहुॅचकर अभिसूचना संकलन के कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि एक भारत बेंज कन्टेनर (नं0 एचआर 69 बी 3300) में अवैध रूप से लाई जा रही स्प्रिट थाना क्षेत्र चौबेपुर के रास्ते जनपद गाजीपुर को जायेगी, उस भारत बेंज कन्टेनर के साथ एक एल्टो कार भी है, जिसका नं0 यूपी 65 एएफ 4698 है, जो इस भारत बेंज कन्टेनर को गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए चल रही है। इस सूचना से थानाध्यक्ष चौबेपुर को अवगत कराते हुए थाना क्षेत्र चौबेपुर के सन्दहा तिराहे के पास उक्त कन्टेनर व एल्टो कार आती दिखाई दी जिसे एसटीएफ टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो अल्टो कार चालक भागने लगा जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया एवं अंधेरे व बारिश का फायदा उठाकर कन्टेनर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह लोग सोनीपत हरियाणा से अवैध रूप से स्प्रिट खरीदकर शम्भू ट्रान्सपोर्ट मोहाली से फर्जी विल्टी बनवाकर उक्त अवैध स्प्रिट को भारत बेंज कन्टेनर के माध्यम से गाजीपुर व बिहार राज्य में सप्लाई करते है। जिसमें रंग आदि मिलाकर नकली शराब बनाकर उसे उसे असली शराब के रूप में ठेको पर बेच देते है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना चौबेपुर, वाराणसी पर मु0अ0सं0 474/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 60(2), 63 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।